कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in/homeguard

क्रमांकः–प.37(2279)एचजी / पीएसएएल / 2019 / 4514-4515 दिनाक : 20 MAR 2020

ले.क. दिवान सिंह चाहर (से.नि.),
पुत्र श्री सुरजमल सिंह चाहर,
पता : डी.डी.ए. फ्लेट–242,
सेक्टर–9, पाकेट–1, द्वारका,
नई दिल्ली।

विषय :–दी राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 के अन्तर्गत लाइसेन्स निरस्त करने बाबत्।

प्रसंग :– कार्यालय पत्रांक 4170 दिनांक 03.03.2020।

विषयान्तर्गत लेख है कि **(पत्रावली संख्या 2279) मैसर्सः चाहर सिक्यूरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्विसेज लिमिटेड** के नाम से पूर्व में आपको लाइसेन्स संख्या **1887** / एच.जी. एच.क्यू.(एस.सैल) / 2019 वैधता दिनांक 17.03.2024 निजी सुरक्षा एजेन्सी एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हेतु जारी किया गया है।

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 16 के तहत आपके निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान मैसर्स : **चाहर सिक्यूरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्विसेज लिमिटेड** के दर्जशुदा प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय पता : गांव– धोली पहाड़ी, तहसील– तिजारा, जिला–अलवर का वर्ष 2019–20 का वार्षिक निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय पता : गांव– धोली पहाड़ी, तहसील– तिजारा, जिला–अलवर पर स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र पर एक अन्य निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, मैसर्स : साईक्लोप सिक्यूरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज सर्विसेज प्रा.लि. का भी संचालन होना पाया गया। उक्त दोनों प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वहां उपलब्ध संसाधन / सुविधाओं का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाना पाया गया। आप द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी उक्त तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

1. आप द्वारा निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन एक अन्य निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान मैसर्स : साईक्लोप सिक्यूरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेज प्रा.लि. के साथ संयुक्त रूप से दर्जशुदा पते पर किया जाना पाया गया जिसकी सूचना आप द्वारा लाइसेन्स प्राप्ति के दौरान नही दी गई जो कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(1)(क) का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त के क्रम में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 की उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने के कारण अनुज्ञप्तिधारी के लाइसेन्स संख्या **1887** / एच.जी. एच.क्यू.(एस.सैल) / 2019 वैधता दिनांक 17.03.2024 को कार्यालय पत्र क्रमांक 2208 दिनांक 30.01.2020 के द्वारा प्राइवेट सिक्यूरिटी अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(2) के तहत एक माह के लिए निलम्बित

किया गया। अनुज्ञप्तिधारक को धारा 13(4) उपधारा (1) के तहत व्यक्तिगत सुनावाई का युक्तियुक्त अवसर दिनांक 12.03.2020 को प्रदान किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13 (1) में विनिर्दिष्टि उपधारा 13(1)(क) व राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम–2006 के प्रावधानो का उल्लंघन किया जाना स्वीकार किया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत मैसर्स : **चाहर सिक्यूरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्विसेज लिमिटेड**, लाइसेन्स संख्या **1887/HG HQ (S-Cell)/2019 दिनांक 18.03.2019** के द्वारा निजी सुरक्षा अभिकरण व निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के संचालन की आज्ञा प्रदान की गई थी, के अन्तर्गत **निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान** के संचालन को एत्द द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त **(Cancel)** किया जाता है, तथा भविष्य में लाइसेन्स संख्या **1887/HG HQ (S-Cell)/2019 दिनांक 18.03.2019** केवल **निजी सुरक्षा अभिकरण** का कार्य करने हेतु ही मान्य होगा। वर्तमान लाइसेन्स पर इस आशय का अंकन किया जाये।

(राजीव दासोत)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपी : आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ–

1. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर सूचना अपलोड व अद्यतन करने बाबत्।

(सुमन ढाका)
स्टॉफ आफिसर,
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल,
गृह रक्षा,राजस्थान,
जयपुर।